

## ::: निविदा की शर्तें :::

1. निविदा दो लिफाफे में "अ" एवं "ब" में प्रस्तुत किया जावेगा। "अ" लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छुट संबंधी प्रमाण पत्र तथा "ब" लिफाफे में निविदा भाव पत्र भरा जावेगा। तदानुसार लिफाफे के उपर "अ" एवं "ब" लिखा जावेगा। सुरक्षा निधि वाले "अ" लिफाफे को पहले खोला जावेगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा छुट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दुसरा लिफाफा "ब" अर्थात निविदा भाव पत्र वाले को खोला जावेगा। निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना जी.एस.टी. नम्बर अंकित करना होगा।
2. निविदाकार निविदा प्रपत्र जेल विभाग की वेबसाईट [www.jail.cg.gov.in](http://www.jail.cg.gov.in) से भी डाउनलोड कर प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते निविदा जमा करने के पूर्व आवेदन शुल्क कार्यालय में जमा कराने पर ही उक्त निविदा प्रपत्र को निविदा कार्यवाही में सम्मिलित किया जावेगा।
3. प्रत्येक निविदा सीलबंद लिफाफे में होना चाहिए। निविदा लिफाफे पर निविदाकार को अपना माल एवं सेवा कर नंबर(GSTN) नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा तथा यह स्पष्ट करना होगगा कि निविदा किस सामग्री/खण्ड हेतु प्रस्तुत की जा रही है।
4. सील बंद लिफाफे के साथ निविदाकार को जी.एस.टी. (GSTN) रजिस्ट्रेशन फार्म 06/25, विगत तिमाही (अक्टूबर 2021 से दिसम्बर 2021) का जी.एस.टी.रिटर्न, आयकर रिटर्न( कर निर्धारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का ) , पेनकार्ड, सुरक्षा निधि का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर.( 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि एवं 10 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (अलग-अलग),आधारकार्ड ,वेंडर प्रमाण पत्र एवं 02 वर्ष व्यवसाय का अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न किया जाना होगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर रु. 100/- के स्टाम्प पेपर में करारनामा एवं सनिष्ठता प्रमाण पत्र जमा किया जाना होगा।
6. "अ" लिफाफा में खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री खण्ड-1,खण्ड-2 ,खण्ड-3 एवं विद्युत सामग्री खण्ड-4 हेतु सुरक्षा निधि जमा किया जाना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर शेष अन्य की निविदा खोले जाने की तिथि के 15 दिवस के अंदर वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि चालान से "8443- सिविल जमा राशियां 103 प्रतिभूति जमा" लेखा शीर्ष में शासकीय खजाने/उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय नगदी लेन-देन का कारोबार किया जाता है, जमा करके चालान की मूल पावती के साथ अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा अधि-सूचित बैंकों के अधीक्षक,जिला जेल कांकर के नाम से डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकेगी। नगद स्वीकार नहीं होगी।
7. निविदा स्वीकृत होने की दशा में जेल पूर्ति नियम 1968 के नियम 10 ग के अनुसार शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में कुल निविदा राशि का 10 प्रतिशत प्रतिभूति भी जमा किया जाना होगा,ताकि आपूर्तिकर्ता के बीच में प्रदाय बंद किये जाने पर भी आपूर्ति बाधित न हो।
8. खाद्यान्न व अन्य सामग्री निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरांत जारी प्रदायगी आदेश के तीन दिवस के अंदर सामग्री निर्धारित स्थान तक पहुंचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर सामग्री की पूर्ति न होने पर बगैर निविदाकार को सूचना दिये स्थानीय बाजार से क्रय की जावेगी तथा शासन को होने वाली हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी एवं उसकी फर्म को इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।
9. दुध प्रतिदिन प्रातः 6.00 बजे जेल गेट में प्रदाय किया जाना होगा।
10. किसी फर्जी फर्म द्वारा निविदा न भरे जाने का पूर्ण परीक्षण किया जावेगा। निविदाकार के पास पर्याप्त भंडारण व्यवस्था,कार्य का ज्ञान आदि का निरीक्षण किया जा सकता है।

4. कृय समिति की अनुशंसा पर कृय की अनिवार्यता नही होगी। जेल अधीक्षक के निर्णय अनुसार सामग्री का कृय आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
12. प्रदायगी आदेश जारी किये जाने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से स्टाम्प पेपर में करारनामा किया जाना अनिवार्य होगा। नमूने तथा मापदंड के अनुरूप, सामग्री प्रदाय न करने की सिथति में सामग्री स्वीकार नही की जावेगी तथा प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वयं के व्यय से वापस ले जाना होगा।
13. छत्तीसगढ शासन वित तथा योजना विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर के पत्र कं. 134 / ए/वित्त/ ब-4 / चार 2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयको के भुगतान पर नियमानुसार जी.एस.टी./टी.डी.एस. टैक्स काट का शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
14. निविदायें उपस्थित निविदाकार तथा कृय समिति के समस्त सदस्यों के सामने खोली जावेगी।
15. निविदाकारों को निविदा की खाद्यान्न सामग्री का नमूना पृथक-पृथक 200 ग्रम के पारदर्शी पैक में सीलबंद हस्ताक्षर कर निविदा दिनांक को जमा कराना होगा। चायपत्ती,सरसो तेल,नमक,वनस्पती घी,खाद्य तेल ब्रांड होने के कारण नमूने की आवश्यकता नही है।
16. निविदाकार को अपने व्यय से सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं कराना होगा।
17. निविदाकार की किसी भी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी।
18. निविदाकार को निविदा की वस्तुओं का मूल्य अंको एवं शब्दों में सुलेख/सुस्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य होगा। उपरीलेखन तथा कांट-छांट किए गए निविदा को विचारण क्षेत्र में नही रखा जाएगा।
19. निविदाकार को व्यापारिक संस्थान का स्पष्ट पता जहां से माल प्रदाय किया जायेगा देना होगा।
20. कृय अधिकारी चाहे तो किसी भी वस्तु का नमूने से कभी भी मिलान कर सकता है या प्रदाय सामग्री का रासायनिक परीक्षण करा सकता है। त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर कृय अधिकारी को कृय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा।
21. कृय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं संख्या में कमी या वृद्धि कृय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
22. निविदा में सामग्रियों के खाली टीन,बोरे आदि की दरें नही जोडी जाएगी। वस्तु का वास्तविक मूल्य ही अंकित किया जाये।
23. वस्तुओं का मांग-पत्र, दैनिक,साप्ताहिक आवश्यकताओं के अनुसार दिया जायेगा।
24. निविदा खोलने की तिथि 08.03.2022 को अपरान्ह 4.00 बजे।
25. निविदा का अनुमोदन महानिदेशक,जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ छ0ग0 रायपुर द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक जेल को विशेषाधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को अमान्य कर सकेगा यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।



जेल अधीक्षक  
जिला जेल कांकर